झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–185 / 2019

करमदेव .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा उपायुक्त, डाकघर और थाना–साकची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

.....प्रोफार्मा प्रतिवादी / प्रोफार्मा प्रतिवादी–विपरीत पक्ष

2. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ..... वादी / प्रतिवादी / विपरीत पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री डी0के0 चक्रवर्ती, अधिवक्ता।

ओ0पी0 संख्या 1 के लिए : सुश्री मनीषा भगत, अधिवक्ता।

वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से

7 / 04.09.2020

1. श्री डी0के0 चक्रवर्ती, याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. विपरीत पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

3. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मनीषा भगत मौजूद हैं।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह याचिका सेकेंण्ड अपील सं0–29 / 2012 की पुनःस्थापन के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 13.02.2019 के आदेश जिसके द्वारा वर्तमान याचिकाकर्त्ता को तीन सप्ताह का समय दिया गया था, त्रुटियों को दूर करने के लिए और अगली तारीख 12.03.2019 को तय की गई थी, का पालन न करने के लिए दिनांक 06.03.2019 को चूक के वजह से खारिज कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आदेश का पालन न करने का कारण उल्लेख

किया गया है और गलती से तथा उसके नियंत्रण से परे कारणों के चलते आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका।

5. विपरीत पक्ष–राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को सेकेण्ड अपील की पुनःस्थापन की प्रार्थना पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

6. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और याचिकाकर्त्ता द्वारा दिनांक 13.02.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण से संतुष्ट होने के बाद, वर्तमान सी0एम0पी0 की एतद् द्वारा अनुमति दी गई और सेकेण्ड अपील सं0–29/2012 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

7. कार्यालय को सेकेण्ड अपील सं0–29/2012 को उपयुक्त पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)